



प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक
(प्रवर्तक: पंजाब नेशनल बैंक)
प्रधान कार्यालय: रामगंगा विहार, मुरादाबाद
Email: rmb1p@prathamaupbank.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय
भगवती गंज, बलरामपुर (उ.प्र.)
दूरभाष नंबर - 7217028576

नीलामी सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनः एवं प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का क्रमांक 54) के अंतर्गत बैंक को बंधक अचल सम्पत्तियों नीलामी द्वारा विक्रय की जायेगी। जबकि बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत नोटिस दिया जा चुका है और तत्पश्चात उनके द्वारा बैंक ऋण अदा कर सकने में असमर्थ रहने पर निम्नांकित बंधक सम्पत्तियों का सांकेतिक कब्जा भी बैंक द्वारा ले लिया गया है और अब निचे लिखित सम्पत्तियों को जैसा है जहाँ है (As is where is basis) के आधार पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) व 9 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए बैंक के विक्रय के लिए निर्णय लिया है।

शाखा का नाम	सम्पत्ति स्वामी का नाम, ऋणी का नाम	सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख तथा देय राशि	देय राशि	न्यूनतम रिजर्व मूल्य	अर्नेस्ट राशि	कब्जा की तारीख	नीलामी का दिनांक, समय व स्थान
पिपरा (बलरामपुर)	ऋणी: श्रीमती जामवंती देवी पत्नी स्व० राम बक्स 9017NC00002992 (गारंटर 1. श्री जंग बहादुर सिंह पुत्र श्री गुड्डे सिंह 2. श्री विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री आर. बी. शर्मा	एक किता आवासीय मकान (सम्पूर्ण निर्माण सहित), नौबस्ता मुडिला, परगना व तहसील-बलरामपुर, जिला- बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 500.00 वर्गमीटर है उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबंधक बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 664 पृष्ठ सं० 179 से 182 क्रम सं० 2036 दिनांक: 21.06.1997 पर दर्ज है।	दिनांक 07.08.2023 देय राशि Rs..606331.60 + ब्याज+अन्य खर्चें+वसूली यदि हो तो	Rs. 606331.60. + ब्याज+अन्य खर्चें+वसूली यदि हो तो	Rs. 3200000/-	Rs. 3,20,000/-	27-10-2023	दिनांक: 12-03-2024 (मंगलवार) समय: अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक पिपरा, बलरामपुर। पता: पिपरा बलरामपुर।
बुधीपुर (बलरामपुर)	ऋणी: मेसर्स लक्ष्मी सीमेंट ईट उद्योग, प्रो. श्री दिनेश कुमार पुत्र आद्यया प्रसाद 95368700003119 गारंटर: 1. श्री प्रभुदयाल पुत्र रामसोहरत 2. श्रीमती करुणेश कुमारी पत्नी श्री दिनेश कुमार	एक किता आवासीय प्लाट (सम्पूर्ण निर्माण सहित), मौजा- नया नगर, गाटा-100 मिन्/0.0052, परगना-शाहदुल्ला नगर, तहसील- उतरौला जिला- बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 567 वर्गफुट है उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबंधक उतरौला, बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 4672 पृष्ठ सं० 141 से 158 क्रम सं० 5584 दिनांक: 14.12.2017 पर दर्ज है।	दिनांक 27.07.2023 देय राशि Rs.666660.24/- + ब्याज+अन्य खर्चें+वसूली यदि हो तो	Rs. 666660.24 /- + ब्याज+अन्य खर्चें+वसूली यदि हो तो	Rs. 1248000/-	Rs. 1,24,800/-	05.10.2023	दिनांक: 19.03.2024 (मंगलवार) समय:अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक बुधीपुर बलरामपुर पता: बुधीपुर, बलरामपुर।
चकवा (बलरामपुर)	संपत्ति स्वामी (गारंटर)- श्रीमती अनीता पत्नी श्री पन्नालाल. ऋणी: श्री पन्ना लाल पुत्र श्री बेचन लाल 90218700002307 गारंटर: 1. श्रीमती अनीता पत्नी श्री पन्नालाल.	एक किता आवासीय प्लाट (सम्पूर्ण निर्माण सहित), गाटा संख्या- 1167, ग्राम-शेखरपुर, पोस्ट- बलरामपुर, जिला- बलरामपुर। जिसका क्षेत्रफल 330.00 वर्गफुट है उक्त प्रॉपर्टी के हक विलेख उप निबंधक बलरामपुर के बही सं० 1 जिल्द सं० 5812 पृष्ठ सं० 111 से 144 क्रम सं० 5626 दिनांक: 23.06.2018 पर दर्ज है। संपत्ति मालिक- श्रीमती अनीता पत्नी श्री पन्नालाल (गारंटर)	दिनांक 09.08.2023 देय राशि Rs.591109 /- + ब्याज+अन्य खर्चें+वसूली यदि हो तो	Rs.. 591109 /- + ब्याज+अन्य खर्चें+वसूली यदि हो तो	Rs. 900000/-	Rs. 90,000/-	27.10.2023	दिनांक: 14.03.2024 (बुधवृत्तिवार) समय:अपराह्न 12.00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक स्थान: प्रथमा यू० पी० ग्रामीण बैंक चकवा, बलरामपुर पता: चकवा, बलरामपुर।

सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण/अन्य जानकारी सम्बंधित शाखा के पास उपलब्ध है।

नियम एवं शर्तें : (1) उक्त सम्पत्ति ऊपर दिये गये रिजर्व मूल्य से कम पर नहीं बेची जायेगी। नीलामी आरक्षित मूल्य से शुरू होगी तथा बोलीदाता 5000 के गुणक में अपने प्रस्ताव में सुधार कर सकेंगे, नीलामी पूर्ण होने पर उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित कर दिया जायेगा। (2) खाता सं० 9017NC00002992 के लिये नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, शाखा पिपरा, बलरामपुर के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में शाखा प्रबंधक पिपरा दूरभाष क्रमशः 7217029017 के पास दि० 11.03.2024 तक प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक जमा करना होगा। (3) खाता सं० 95368700003119 के लिये नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक शाखा बुधीपुर, बलरामपुर के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में शाखा प्रबंधक बुधीपुर दूरभाष क्रमशः 7217029536 के पास दि० 18.03.2024 तक प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक जमा करना होगा। (4) खाता सं० 90218700002307 के लिये नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अर्नेस्ट धनराशि प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक, शाखा चकवा, बलरामपुर के पक्ष में देय भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (ई०एम०डी०) के रूप में शाखा प्रबंधक चकवा दूरभाष क्रमशः 7217029021 के पास दि० 13.03.2024 तक प्रातः 10:00 से सायं 04:00 बजे तक जमा करना होगा। (5) नीलामी समापन समय पर सबसे अधिक बोली लगाने वाले को बोली की 25 प्रतिशत राशि भुगतान आदेश/मांग ड्राफ्ट द्वारा प्रारम्भिक डिपोजिट के रूप में जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ई०एम०डी० जब्त कर ली जायेगी। अदा की गई ई०एम०डी० प्रारम्भिक भुगतान राशि में समायोजित कर दी जायेगी। असफल बोलीकर्ताओं की ई०एम०डी० नीलामी के समय पर ही लौटा दी जायेगी। (6) बोली की शेष राशि विक्रय की स्वीकृति के पश्चात् 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी अन्यथा उनके द्वारा जमा की गयी प्रारम्भिक डिपोजिट राशि जब्त कर ली जायेगी और विक्रय की पुष्टि नहीं की जायेगी। (7) जिस सम्पत्ति के लिए क्रेता अपनी ऑफर दे रहा है, उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में देय सभी म्युनिसिपल/टेक्स/बिजली/पानी/अन्य प्रभार ड्यूटीय एवं कर जो भी होंगे भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता की होगी। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन की अदाएगी भी क्रेता के द्वारा ही की जायेगी। (8) प्राधिकृत अधिकारी को कोई बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा। (9) यदि ऋणी विक्रय की तारीख से पूर्व बैंक की सम्पूर्ण राशि अदा कर देता है तो नीलामी रद्द कर दी जायेगी। (10) नीलामी का समय उक्तानुसार ही रहेगा। (11) दिनांक 01.02.2024 को सम्पत्ति मालिक को सूचित करने के उद्देश्य से सम्पत्ति पर नीलामी नोटिस चप्सा कर दिया गया है।

ऋणियों/जमानतदारों को उपरोक्त वर्णित राशि को नियत तिथि तक ब्याज एवं सहायक खर्चों के साथ नीलामी की दिनांक से पूर्व भुगतान करने हेतु सरफेसी एक्ट 2002 के नियम 8(6) के तहत सूचित किया जाता है जिसमें चुक होने पर सम्पत्ति नीलाम/बेच दी जायेगी तथा बकाया राशि यदि है तो ब्याज लागत के साथ वसूल की जायेगी। इच्छुक क्रेता संपत्ति व सभी भार/ देयताएं/ दावों/ अधिकारों के विषय में दिनांक: 12.03.2024 (9017NC00002992), 19.03.2024 (95368700003119), एवं 14.03.2024 (90218700002307), से पूर्व स्वयं को संतुष्ट कर सकते हैं।

दिनांक: 03.02.2024
स्थान: बलरामपुर

प्राधिकृत अधिकारी
प्रथमा यू०पी० ग्रामीण बैंक,
क्षेत्रीय कार्यालय, बलरामपुर